संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 30.07.2022**

आज दिनांक 30.07.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त 03 अदद अवैध कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** वारण्टी अभियुक्त नाम पता मान सिंह यादव पुत्र मनीराम यादव निवासी ग्राम सिरसी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को प्रसादपुर स्कूल के पास से 03 अदद अवैध कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 358 / 2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार, हे0का0 फखरुद्दीन खाँ, का0 प्रवीण तिवारी।

संतकबीरनगर पुलिस

सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 01 वारण्टी नाम पता रामनयन यादव पुत्र छविराज यादव निवासी कौवाठोर थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीनगर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 रामेश्वर प्रसाद, का0 बृजेश सिंह, का0 अंकित यादव।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10-10-10 लीटर कुल 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त नाम पता 1 – मनेजर पुत्र मंगरू निवासी लोचीपुर मुण्डेरा शुक्ल 2 – मनोज राजभर पुत्र रामदरश निवासी चोरमरा 3 – मनोज गौड़ पुत्र रूदल गौड़ निवासी खेवसिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 354 / 2022, 355 / 2022 व 356 / 2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री पवन कुमार, उ0नि0 श्री हरेन्द्रनाथ राय, उ0नि राजेश मिश्रा मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1497 द्वारा दो पक्षों के बीच मारपीट / विवाद के दौरान घायल व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल</u> – पीआरवी <u>1497</u> को थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रान्तर्गत बरगदवा से इवेन्ट संख्या 10612 से कालर दो पक्षों के बीच मारपीट / विवाद होने से 02 व्यक्तियों के घायल होने के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 04 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को प्राइवेट वाहन से अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना धर्मसिंहवा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 जमालुद्दी, आरक्षी कौशल कुमार, आ0चा0 धर्मेन्द्र कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 208 वाहनो से 1,86,000 रू0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 30.07.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 208 वाहनों से 1,86,000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया।